

216

24


23

समझ - राजस्व भंडारपालिकर. म.प्र.

रि. 50 रुं

R-1497-PB/407

- आवेदक :-
1. अशोक कुमार आत्मज स्व. किशन लाल विश्वकर्मा
 2. अशोक कुमार आत्मज स्व. किशन लाल विश्वकर्मा
दोनों निवासी-म. नं. 88, श्रीनाथ की तलेधा.
गंजीपुरा. तह. प जिला जबलपुर.



विवरण

- अनावेदकगण :-
1. मिश्री लाल आत्मज स्व. विश्राम दीमर.
 2. धनीराम आत्मज विश्राम दीमर.
 3. श्रीमती तियाबाई पति स्व. विश्राम. दीमर.
सभी निवासी - ग्राम बंधोडी तहसील प
जिला जबलपुर.



रि. वि. जन -- धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत.

आवेदक न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर. जबलपुर तंभाग
जबलपुर के अपील प्र. क्रं. - 529अ/70-01-02, मिश्री लालचर्मन बगेरह
विवरण अशोक कुमार विश्वकर्मा बगेरह में पारित आदेश दिनांक --
12.03 के परिवेदित हो कर यह रि. वि. जन माननीय न्यायालय के
समझ निम्न तर्कों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है कि :-

1. यह कि, आवेदक ने तहसीलदार रा. नि. मे. महाराजपुर.
तह. प जिला जबलपुर के समझ दिनांक - 12.6.02000 को एक आवेदन
पत्र अनावेदक गणों के विरुद्ध धारा 250 एवं धारा 32 म. प्र. भू. राजस्व
संहिता के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि, ग्राम गंगा जलाम,
नंबर बंधोबरत 620, प. ह. नं. 12, रा. नि. मे. महाराजपुर.
तह. प जिला जबलपुर की भूमि खतरा नंबर - 90 रकबा - 2.95.है.

1 MAR 2004
क्र. 2648
जिला जज
जबलपुर

CS

RE



